In The Court of Sub Judge-II, Patnacity

स्वत्व विभाजन वाद सं0 392/2013

23-01-2024----वाद पुकारा गया। प्रस्तुत अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन अंतर्गत धारा 114 सपठित आदेश 47 नियम 1 सी0 पी0 सी0 पर सुनवाई एवं आदेश के लिए रखा गया है जिस पर प्रतिवादी सं0 05 एवं 06 के द्वारा दि0 06-07-23 को एवं प्रतिवादी सं0 3 की ओर से दि0 02-12-23 को तथा प्रतिवादी सं0 1, 2 एवं 4 की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर में यह अभिवाक किया गया है कि चूंकि आवेदक वादी की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है एवं न्यायालय द्वारा दि0 21-11-14 को पारित आदेश में प्रथम दृष्टया कोई अनियमितता नहीं है तथा आवेदक केवल विचारण को विलंबित करने के आशय से प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया है अतः वादी के पुनर्विलोकन आवेदन पोषणीय न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

सभी पक्षों को सुना व अभिलेख का अवलोकन किया। सर्वप्रथम पुनर्विलोकन के संबंध में विधिक प्रावधानों का उल्लेख समीचीन होगा जोकि सी0पी0सी0 के धारा 114 सपठित आदेश 47 में वर्णित है जिसके अनुसार " कोई भी व्यक्ति उसी न्यायालय से जिसने आदेश पारित किया है, के समक्ष पुनर्विलोकन हेतु निम्न आधारों पर आवेदन दाखिल कर सकता है क डिकी या आदेश जिसके संबंध में अपील उपबंधित हो परंतु उसकी अपील न की गयी हो

(ख) डिकी या आदेश जिसके संबंध में अपील का प्रावधान न हो

(ग) लघुवाद न्यायालय के निर्देश में उत्पन्न विनिश्चय

विधिक प्रावधान एवं विभिन्न न्यायिक विनिश्चय से स्पष्ट है कि न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति का विस्तार अत्यंत सीमित है एवं इसका प्रयोग उसी दशा में करना है जबकि पारित आदेश में प्रथम दृष्टया त्रुटि या अनियमितता हो, चूंकि न्यायालय के द्वारा दि0 21-11-14 को पारित आदेश में इंटरवेनर को पक्षकार बनाये जाने का आदेश समुचित दस्तावेजों के आधारों पर दिया गया है। यद्यपि इंटरवेनर को जिस दस्तावेज के आधार पर पक्षकार बनने की अनुमति प्रदान की गयी है उस पर वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण को घोर आपत्ति है जोकि विचारण के स्तर पर निस्तारित किये जाने योग्य है। अग्रतर यह कि मात्र पक्षकार बन जाने से ही इंटरवेनर को वादग्रस्त संपत्ति में हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती अतः उक्त आदेश चूंकि प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण प्रतीत नहीं होता ऐसी अवस्था में उक्त आदेश का पुनर्विलोकन करने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता तथा उपरोक्त विधिक प्रावधानों एवं परिस्थितियों के आलोक में वादी/आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन अंतर्गत धारा 114 सपठित आदेश 47 नियम 1 को खारिज किया जाता है। वाद दि0 6.2.24 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित